मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अयोग क्रमशः महासमुंद, कांकेर, बलौदाबाजार, बेमेतरा एंव बालोद के सदस्यों के मानदेय हेतु ₹132.31 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹1,32,31,000 का प्रावधान शामिल किया गया हैं।

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अधिनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अयोग में कर्मचारी एवं मध्यस्थक चैनल की नियुक्ति संबंधी व्यय के लिए ₹10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹10,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया हैं।

मद क्रमांक 3

नवगठित जिला क्रमशः मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांरगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, सक्ती के जिला खाद्य कार्यालय के लिए फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु ₹28.82 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹28,82,000 का प्रावधान शामिल किया गया हैं।

मद क्रमांक 4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना हेतु 06 नग नवीन कम्प्यूटर एवं यूपीएस क्रय हेतु ₹ 5.88 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,88,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया हैं।

मद क्रमांक 5

उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस निधि) हेतु केन्द्रांश ₹ 1500.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 500.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 2000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजनो हेतु नवीन मद के रूप में ₹20,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया हैं।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 6

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के जिला खाद्य कार्यालय के लिए 01 नग नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 7.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹7,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया हैं।